

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-259 / 2005

संस्थित दिनांक- 26.07.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. जयमल पुत्र दयाल सिंह सिख उम्र 41 साल,
2. जगदेवसिंह पुत्र सेवेंद्र उर्फ छिन्या सिख उम्र 28 साल,
3. महलसिंह पुत्र जीत सिंह सिख उम्र 47 साल,
4. सेवेंद्र उर्फ छिन्दा पुत्र कपूर सिंह सिख उम्र 48 साल,
5. प्रकट सिंह उर्फ परगट सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख उम्र 55 साल,
6. कुलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख उम्र 46 साल,
निवासीगण ग्राम रेहटवास

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.12.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 342, 294, 323/34, 324/34, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.05.2005 को 07:00-07:30 बजे ग्राम खैराई के हार रास्ते पर फरियादी सुकेश सहित शिवराज, फूलसिंह व सावित्री बाई को किसी निश्चित दिशा में जाने से विरत कर सदोष परिरोध कारित किया एवं आम रास्ते पर मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व फरियादी सुकेश सहित सावित्री बाई शिवराज व फूलन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सावित्री बाई एवं फूलन के साथ लाठी से एवं सुकेश व शिवराज के साथ लाठी व लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-29.05.2005 की शाम करीब 07:30 बजे फरियादी मुकेश भाई शिवराज, फूलन सिंह के साथ खेत से कुआ का काम करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में प्रकट सिंह, बल्लम, सेवेन्द्र सिंह लुहांगी जयमल सिंह लाठी, कुलवन्त सिंह लाठी लिये मिले और चारों ने रास्ते में रोक कर बाले, मादरचोद जमीन के पसा जमीन क्यों ली और चोरों तीनों की बल्लम लुहांगी, लाठी से मारपीट करने लगे, फिर चारों ने तीनों को खींचकर सेवेन्द्र के मकान में गये, वहां पर चोरों लोगों ने मारपीट की, परवार सिंह ने लाठी से सिर मारी बाये तरफ लगी, चोट होकर सूजन आ गई। सेवेन्द्र ने

लुहांगी मारी जो बाये पैर पर लगी, मुंदी चोट होकर सूजन आ गई। जयमल ने लाठी मारी जो पीठ में लगी दाहिने तरफ चोट लगी, फिर बलवंत सिंह लाठी मारी जो बायें पैर के घुटने पर लगी, महल सिंह और जगदेव सिंह लाठियां लेकर और मारपीट करने लगे, मां सावित्री बाई बचाने आई तो उसकी भी उक्त लोगों ने मारपीट की। प्रकाश सिंह, महल सिंह छिन्दा बोला कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त दिनांक को फरियादी मुकेश सिंह द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-78/05 अंतर्गत धारा-341, 342, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.05.2005 को 07:00-07:30 बजे ग्राम खैराई के हार रास्ते पर फरियादी सुकेश सहित शिवराज, फूलसिंह व सावित्री बाई को किसी निश्चित दिशा में जाने से विरत कर सदोष परिरोध कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आम रास्ते पर मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुकेश सहित सावित्री बाई शिवराज व फूलन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सावित्री बाई एवं फूलन के साथ लाठी से एवं सुकेश व शिवराज के साथ लाठी व लुंहागी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्राष कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्न का विवेचन पहले किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। फरियादी सुकेश सिंह (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) फूलन (अ0सा0-5) व सावित्री (अ0सा0-6) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक-29.05.2005 को अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट कर उन सभी को उपहति कारित की थीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से फरियादी सुकेश सिंह (अ0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में एवं शिवराज सिंह (अ0सा0-2) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-14 में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि पूर्व की रंजिश के कारण फरियादी ने आरोपीगण की झूठी रिपोर्ट की है।
- 06— फरियादी सहित आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य पूर्व की रंजिश थी, इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से फरियादी सुकेश सिंह (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) फूलन (अ0सा0-5) एवं सावित्री (अ0सा0-6) के प्रतिपरीक्षण में कई सुझाव दिये हैं, जिस पर से स्वयं सुकेश (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में एवं शिवराज (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-10 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी पूर्व की रंजिश है। वही फूलन (अ0सा0-5) ने अपने कथनों की कण्डिका-3 में आरोपीगण से उनका पूर्व का जमीनी विवाद होना स्वीकार किया है तथा सावित्री (अ0सा0-5) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में आरोपीगण से रंजिश होने की बात को स्वीकार किया है।
- 07— सुकेश (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में हालांकि बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि शिवराज का दबा छिड़कने के उपर हुये विवाद पर से से पूर्व में आरोपीगण से मुकदमा चला था, परन्तु स्वयं शिवराज (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में आरोपीगण से उक्त विवाद की घटना को स्वीकार करते हुये कथन दिये हैं कि उक्त घटना पहले की थीं। सुकेश (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव का भी खण्डन किया है कि शिवराज ने मुकेश के फर्सा मारा था जिसका केस चल रहा है, परन्तु स्वयं शिवराज अपने कथनों में यह स्वीकार करता है कि भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध में उसे 2 वर्ष की सजा हुई थी, जिसकी अपील ग्वालियर में चल रही है।
- 08— सुकेश (अ0सा0-1) व शिवराज (अ0सा0-2) दोनों ही साक्षी अपने कथनों में यह स्वीकार करत हैं कि अभियुक्त परगट सिंह के यहा मजदूरी करने आई औरत ने उन पर 376 का मुकादमा पूर्व में लगाया था तथा स्वयं उनके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध सोयाबीन चोरी का प्राईवेट परिवाद प्रस्तुत किया था। सुकेश (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह सेवेंद्र के घर के सामने लगे खंबे से बिजली का तार डालता है, जिसे सेवेंद्र मना भी करता है। फूलन सिंह (अ0सा0-5) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह स्वीकार करता है कि सेवेंद्र सिंह उन्हें लाईट डोरी डालने के लिये

मना करता है, जिसका भी विवाद उनके मध्य है।

- 09- बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त सेवेंद्रर (ब0सा0-1) के कथन बचाव साक्षी के रूप में न्यायालय में कराये गये हैं तथा स्वयं अभियुक्त ने अपने समर्थन में शिवराज के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध सोयाबीन चोरी के दायर किये गये, परिवाद पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक-117/09 में पारित निर्णय दिनांक-25.07.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-1 एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपील प्रकरण क्रमांक 93/13 में पारित निर्णय दिनांक-17.10.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी 2 प्रकरण में प्रस्तुत की है। अभियुक्त सेवेंद्रर (ब0सा0-1) का भी अपने कथनों में कहना है कि उनका फरियादीगण से 8-9 साल से विवाद चल रहा है तथा विवाद का कारण लाईट का तार डालने पर से है।
- 10- अतः फरियादी सुकेश सिंह (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) फूलन (अ0सा0-5) व सावित्री (अ0सा0-6) के द्वारा न्यायालय में की गई, उपरोक्त स्वीकारोक्ति से एवं अभियुक्त सेवेंद्रर (ब0सा0-1) के कथन व प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-डी-1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण और फरियादीगण के मध्य पूर्व में भी कई घटनाओं को लेकर विवाद हुये हैं, फिर चाहे वह फरियादीगण के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध सोयाबीन चोरी का मुकादमा कायम करना हो या फिर बिजली का तार डालने पर से उत्पन्न हुआ विवाद हो, दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कई बार विवाद हो चुके हैं, जिनमें एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालीन प्रकरण भी कायम हुये हैं, जिससे दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्थापित होता है।
- 11- यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मात्र पूर्व की रंजिश साबित होना किसी भी प्रकरण में दोष मुक्ति अथवा दोष सिद्धि का एक मात्र आधार नहीं हो सकती है। इसके पश्चात् भी प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि वास्तव में घटना घटित हुई भी थी अथवा नहीं तथा घटना के घटित होने या न होने का एक आधार यह अवश्य हो सकता है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश थीं। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती है, जिसके कारण पुनः एक नई घटना घटित हो सकती है, या पूर्व रंजिश के चलते, एक झूठा प्रकरण कायम कराया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में जहां पूर्व की रंजिश दोनों पक्षों के मध्य स्थापित होती है वहां साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है।
- 12- फरियादी सुकेश सिंह (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में घटना के संबंध में कहना है कि 10 साल पूर्व दिन के समय आरोपीगण ने लाठी, डण्डों से उसके तथा उसके भाईयों तथा मां के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके पैर में व मुंह में चोट आई थी। मुख्यपरीक्षण में हालांकि फरियादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि घटना किस दिनांक व कितने बजे की है, तथा किस स्थान की है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में फरियादी का यह स्पष्ट

कहना है कि घटना की तारीख 29 मई है, जो कि 10 साल पूर्व की है और शाम के समय की है। फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह स्पष्ट किया है कि घटना सरकारी रास्ते की है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में घटना स्थल के संबंध में फरियादी का कहना है कि घटना अभियुक्त सेवेंद्र के मकान के पास की है।

- 13- शिवराज (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि घटना दिनांक 29.05.05 की है, उस समय वह अपने भाई सुकेश (अ0सा0-1) व फूलन सिंह (अ0सा0-5) के साथ खेत पर जहां कुंआ खुद रहा था, वहा से काम करके शाम को वापस आ रहे थे तो आरोपीगण ने उन्हें रास्ते में रोककर लाठियों से उनके साथ मारपीट की थी तथा उन्हें बचाने आये उनकी मा सावित्री बाई (अ0सा0-6) के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में उपरोक्त कथनों पर स्थिर रहते हुये न्यायालय में कथन दिये हैं कि घटना शाम 07:00 से 09:00 की होकर सेवेंद्र के घर की है।
- 14- फूलन सिंह (अ0सा0-5) ने भी फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये घटना दिनांक 29.05.2005 की होना बताया है तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में स्पष्ट किया है कि घटना के समय वह अपने भाइयों के साथ खेत से काम करके वापस आ रहे थे, तो आरोपीगण ने अपने घर के बाहर उन्हें रोक लिया था और उनकी लाठियों से मारपीट की थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह अखण्डित कथन दिये हैं कि अभियुक्तगण ने उसके भाई सुकेश (अ0सा0-1) व शिवराज (अ0सा0-2) व मां सावित्री बाई (अ0सा0-6) सहित उसे लाठियों से मारा था, तथा उक्त घटना में उसकी आखं में चोट आई थी। सावित्री (अ0सा0-6) ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये दिनांक 29.05.05 की शाम 06:00 बजे की होना बताया है तथा इस साक्षी का भी यह कहना है कि उक्त दिनांक को शाम 06:00 बजे जब उसके लडके काम करके आ रहे थे, तो अभियुक्त सेवेंद्र के मकान के बाहर आरोपीगण ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की थी तथा जब वह बचाने पहुंची, तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की।
- 15- फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित घटना में आहत शिवराज (अ0सा0-2) व फूलन (अ0सा0-5) व सावित्री बाई (अ0सा0-6) की साक्ष्य इस संबंध में अकाट्य व अखण्डित है कि घटना दिनांक-29.05.2005 की शाम लगभग 06:00-07:00 की थी, तथा घटना के समय फरियादी अपने भाइयों के साथ अपने खेत से आ रहा था, तो अभियुक्त सेवेंद्र के मकान के बाहर आरोपीगण ने उन्हें रोककर उनके साथ लाठियों से मारपीट की थी तथा इस घटना में बचाने आई सावित्री बाई (अ0सा0-6) के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट कर उपहति कारित की थी। फरियादी सहित साक्षियों ने घटना स्थल सेवेंद्र के मकान के बाहर का होना बताया है, जिसकी पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी नीरज राणा असा 7 के द्वारा फरियादी की निशानदेही पर बनाया गयो नक्शा मौका प्रपी 7 में दर्शाये गये घटना स्थल से भी होती है।

- 16- अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये हैं जिनके द्वारा घटना दिनांक 29.05.05 को घटना के बाद रात्रि में 10:00 बजे से फरियादी सहित आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण किया गया। इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसने दिनांक 29.05.2005 को सावित्री बाई (अ0सा0-6) फूलन (अ0सा0-5) सुकेश (अ0सा0-1) व शिवराज (अ0सा0-2) का चिकित्सीय परीक्षण किया था तथा उनके चिकित्सीय परीक्षण में सभी शरीर के पर चोटें पाई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा चिकित्सीय प्रतिवेदन भी तैयार किया गया था।
- 17- डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसने सावित्री बाई (अ0सा0-6) के परीक्षण में उसके बाये पैर के नीचले भाग में नीलगू एवं सूजन की चोट सहित पीठ में दाहिनी ओर नीचले हिस्से नील की चोट पाई थी। इसी प्रकार आहत फूलन सिंह के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने घुटने पर नील व दर्द की चोट गर्दन पर बाई नील की चोट पीठ में निचले भाग की नील की चोट, बाई आंख में नील की चोट पाई थी। डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि सुकेश (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में उसके द्वारा सुकेश व शिवराज शरीर पर कुल 8-8 चोटें पाई थीं, जिसमें सुकेश के दाहिने पैर के पंजें, दाहिने पैर में, बाये पैर के टकने पर, बाये घुटने पर, बाई जांघ पर, दाहिने घुटने पर, दाहिनी कलाई के पृष्ठ भाग पर विभिन्न आकार के नील की चोट एवं दोनों नसा छिद्रों पर खरोंच की चोट पाई थी, वहीं शिवराज के चिकित्सीय परीक्षण में उसके दाहिने गाल पर एक कटा घाव सहित छाती की दाहिनी ओर छाती के मध्य में बाई ओर, पीठ के मध्य भाग एवं पीठ के दाहिनी ओर नील की चोट पाई थी वहीं, बाई अग्रभुजा एवं दाहिने हाथ की हथेली पर विभिन्न आकार के खरोज व नील की चोट सहित गर्दन के पिछले भाग पर नील की चोट पाई थी।
- 18- डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) का कहना है कि उनके द्वारा सावित्री बाई, फूलन, सुकेश व शिवराज का चिकित्सीय परीक्षण करके क्रमशः चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्श-पी 3, 4, 5 व 6 बनाया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा इस साक्षी के द्वारा उपरोक्त आहतगण के शरीर पर परीक्षण के दौरान पाई गई चोटों के संबंध में दिये गये कथनों की पुष्टि भी तैयार की गई चिकित्सीय प्रतिवेदन भी 3 लगायत 6 से होती है। डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) कि चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के बाद फरियादी आहतगण के द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई तो उनके द्वारा बताई गई चोटों के संबंध में भरे गये मजरूब फार्म के अनुसार ही डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) ने उनके चिकित्सीय परीक्षण में उक्त चोटें पाई थीं।
- 19- घटना दिनांक 29.05.05 को शाम लगभग 06:00 बजे की है, तथा घटना के समय फरियादी अपने भाइयों के साथ खेत पर काम करके आ रहा था, तो सेवेंद्र के घर के बाहर आरोपीगण ने उनका रास्ता रोककर लाठियों से उनके साथ मारपीट की थी तथा बीच बचाव में सावित्री बाई (अ0सा0-6) के साथ भी अभियुक्तगण ने लाठियों से मारपीट

की थी, इस संबंध में फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) फूलन (अ0सा0-5) सावित्री (अ0सा0-6) की साक्ष्य उनके संपूर्ण परीक्षण में अकाट्य व अखण्डित है तथा उक्त घटना में ही उन्हें चोटें यह डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं उनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श-पी 3 लगायत 6 से प्रमाणित होता है।

- 20- बचाव पक्ष की ओर से सेवेंद्र (ब0सा0-1) के कथनों में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि फरियादी सुकेश सहित उसके भाई मोटरसाईकिल से गिर गये थे, जिससे उन्हें चोटें आई थी तथा बाय0 एस0 तोमर (अ0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव भी दिया गया है, कि जिसमें डॉक्टर बाय0 एस0 तोमर ने यह सहमति दी है कि मोटरसाईकिल से गिरने से फरियादी सहित उसके भाइयों को उपरोक्त चोटें आना संभव है कि परन्तु यह उल्लेखनीय है कि फरियादी तथा आहतगण को घटना के समय चोटें थी, अकेले यह प्रमाणित होने से घटना प्रमाणित नहीं होती है कि बल्कि उसके लिये संपूर्ण साक्ष्य देखी जानी है। घटना के संबंध में फरियादी सहित साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित है तथा फरियादी के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 सहित अन्य साक्षियों के कथनों से भी होती हैं। उस पर चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी सहित अभी आहतगण के शरीर पर चोटें पाये जाने की पुष्टि होना यह प्रमाणित करता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना में कारित की गई थी।
- 21- फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित आहतगण के कथनों में इस संबंध में मामूली विरोधाभास अवश्य है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से किस आहत को शरीर में किस जगह पर उपहति कारित की तथा साक्षियों ने हथियारों के संबंध में भी कुछ कथन बढा-चढा कर दिये हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त विरोधाभास तात्त्विक स्वरूप का नहीं है। जब भी घटना में मारपीट करने वाले अभियुक्तों की संख्या अधिक होती है और पीटने वाले व्यक्तियों की संख्या भी अधिक होती है, तो वहां आहतगण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह स्वयं को व अन्य आहतों को किस ने किस हथियार से कहा चोटें पहुँचाई, यह बता सके। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवेश में यह भी देखा जाता है कि साक्षियों के द्वारा घटना को गंभीर बनाने के लिये कुछ कथन बढा-चढा कर अवश्य दिये जाते हैं, जिससे उनके कथनों को उसी दृष्टिकोण से देखा जाना उचित होगा।
- 22- अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस संबंध में लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि अभियुक्तगण तथा फरियादी पक्ष के मध्य पूर्व की रंजिश थी तथा उक्त रंजिश के कारण ही घटना दिनांक 29.05.2005 को शाम को 06:00 बजे फरियादी सुकेश सहित उसके भाई शिवराज (अ0सा0-2) व फूलन (अ0सा0-5) खेत से काम करके लौट रहे थे, तो सभी आरोपीगण वहां पहले ही सेवेंद्र के घर के बाहर मौजूद थे और उन्होंने फरियादी सहित उनके भाइयों को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर लिया था और उक्त आशय के अग्रसरण में ही अभियुक्तगण के द्वारा

फरियादी तथा उसके भाईयों के साथ मारपीट कर उन्हें लाठियों से स्वेच्छया उपहति कारित की है और जब उनकी मां सावित्री बाई मौके पर बचाने पहुंची, तो उसके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट कर उपहति कारित की।

- 23- घटना में किसी भी धारदार काटने के उपकरण का प्रयोग अभियुक्तगण के द्वारा किया गया, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। शिवराज के चिकित्सीय परीक्षण में उनके गाल पर कटे हुये घाव की चोट अवश्य पाई गई है, परन्तु उक्त चोट किसी काटने के कारण से आई थी, ऐसा कहीं भी शिवराज तथा अन्य साक्षियों का कहना नहीं है, स्वयं शिवराज (अ0सा0-2) घटना में अभियुक्तगण के द्वारा लाठियों से मारपीट किया जाना बताता है कि जिससे स्पष्ट है कि घटना में अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट किसी असन, काटन, भेदन वाले उपकरण से नहीं की गई और न ही घटना में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया गया, जो यदि घातक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाता तो उससे किसी भी आहत की मृत्यु होने की सम्भावना थी, अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 / 34 के आरोप प्रमाणित न होकर उनके विरुद्ध फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) फूलन सिंह (अ0सा0-5) व सावित्री बाई (अ0सा0-6) के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर कारित की गई उपहति के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 323 / 34 के आरोप प्रमाणित होते हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24- अभियोजन कहानी के अनुसार एवं फरियादी के द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार घटना में ही आरोपीगण फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) व फूलन (अ0सा0-5) को छिंदा के मकान पर ले गये थे वहां पर आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी, परन्तु सुकेश (अ0सा0-2) सहित साक्षियों ने धारा 161 के कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा शिवेंद्र के घर के अंदर ले जाकर मारपीट की घटना करना बताते हैं, परन्तु इस संबंध में स्वयं फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा संपूर्ण घटना सेवेंद्र के घर के बाहर की होना बताया है। शिवराज (अ0सा0-2) ने हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह कथन दिये कि आरोपीगण ने उन्हें सेवेंद्र के के घर के अन्दर छेक लिया था, परन्तु स्वयं फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में फूलन (अ0सा0-5) अपने मुख्य परीक्षण में घटना सेवेंद्र के घर के दरवाजे की होना बताता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने सेवेंद्र के घर में ले जाकर फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) सहित शिवराज (अ0सा0-2) व फूलन (अ0सा0-5) के साथ मारपीट की थी, यदि घटना सेवेंद्र के घर के बाहर की है, तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का सदोष परिरोध अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी व आहतगण के साथ कारित नहीं किया गया। अतः ऐसे में उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 342 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

- 25— जहां तक घटना में अभियुक्तगण के द्वारा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है। तो अभियुक्तगण ने ऐसा कोई कृत्य किया, इसके संबंध में फूलन (अ0सा0-5) सहित सावित्री (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में कोई कथन नहीं दिये हैं, वहीं घटना स्वतंत्र साक्षी मुंशीलाल (अ0सा0-4) अपने कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार करता है। फरियादी सुकेश (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह कहीं भी व्यक्त नहीं किया कि आरोपीगण ने उसे मां-बहन की गालियां दी थी, वहीं शिवराज (अ0सा0-2) अपने कथनों में यह कहता है कि आरोपीगण ने उसे मां बहन की गालियां दी थी, परन्तु वास्तव में कौन सी गालियां दी गईं तथा गालियां सुनने के बाद किसी को भी क्षोभ कारित हुआ, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र गालियों का उच्चारण भा0द0वि0 की धारा 294 का अपराध साबित नहीं करता है कि तब तक की यह साबित नहीं कर लिया जावे कि उच्चारित किये गये शब्दों से क्षोभ कारित हुआ।
- 26— प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 2 एवं साक्षियों के द्वारा दिये गये पुलिस को दिये गये कथन के अनुसार प्रकट सिंह, महल सिंह व सेवेंद्र ने घटना के बाद यह कहा था कि रिपोर्ट करने गये, तो जान से खत्म कर देंगे, परन्तु ऐसे कोई शब्दों का उच्चारण उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण में से किसी ने किया था, इस संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने कोई कथन न्यायालय नहीं दिये हैं शिवराज (अ0सा0-2) का मात्र यह कहना है कि आरोपीगण ने उससे बोला था कि “तू यहां से भाग जा तूझे जमीन में गाढ़ देगे” जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार सर्वप्रथम तो दी गई धमकी से भिन्न है वही इस साक्षी के उपरोक्त कथन स्वयं उसके द्वारा पुलिस को दिये गये कथन के विरोधाभासी है। शिवराज (अ0सा0-2) का कही भी यह कहना नहीं है कि प्रकट सिंह, महल सिंह, सेवेंद्र ने उसे या फरियादी को रिपोर्ट करने पर जाने पर से जान से मारने की धमकी दी थी। अतः अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण ने संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 27— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक-29.05.2005 को शाम 06:00 बजे अभियुक्तगण ने ग्राम खैराई में सेवेंद्र के घर के बाहर फरियादी सुकेश सहित शिवराज फूलन सिंह व सावित्री बाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठियों से मारपीट कर स्वच्छेया उहपति कारित। अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं कर सका कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना में फरियादी सहित आहतगण को एक निश्चित सीमा से आगे जाने से विरत कर उन्हें सदोष परिरोध कारित किया तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी व अन्य को मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन यह भी साबित

नही कर सका कि घटना अभियुक्तगण ने असन, काटन, भेदन अथवा ऐसे हथियारों का उपयोग किया, जो कि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर यदि उपयोग किये जाते तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थीं।

- 28— फलतः अभियुक्तगण जयमल पुत्र दयाल सिंह सिख, जगदेवसिंह पुत्र सेवेंद्रर उर्फ छिन्या सिख, महलसिंह पुत्र जीत सिंह सिख, सेवेंद्रर उर्फ छिन्दा पुत्र कपूर सिंह सिख, प्रकूट सिंह उर्फ परगट सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख, कुलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 342, 294, 506बी के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 342, 294, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। वही अभियुक्तगण जयमल पुत्र दयाल सिंह सिख, जगदेवसिंह पुत्र सेवेंद्रर उर्फ छिन्या सिख, महलसिंह पुत्र जीत सिंह सिख, सेवेंद्रर उर्फ छिन्दा पुत्र कपूर सिंह सिख, प्रकूट सिंह उर्फ परगट सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख, कुलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34 (चार शीर्ष) के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 323/34 (चार शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

- 29—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 30—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण तथा फरियादी के मध्य पूर्व की रंजिश है तथा उनके मध्य कई न्यायालीन प्रकरण लंबित होने के दौरान पुनः अभियुक्तगण के द्वारा उक्त रंजिश के चलते यह घटना कारित की गई। जिसमें फरियादी सुकेश व शिवराज को शरीर के कई भागों पर चोटें कारित हुई है।

31-उपरोक्त परिस्थिति एवं आहतगण को घटना में कारित की गई चोटों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण जयमल पुत्र दयाल सिंह सिख, जगदेवसिंह पुत्र सेवेंद्र उर्फ छिन्या सिख, महलसिंह पुत्र जीत सिंह सिख, सेवेंद्र उर्फ छिन्दा पुत्र कपूर सिंह सिख, प्रकट सिंह उर्फ परगट सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख, कुलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह सिख को प्रत्येक आहत सुकेश, शिवराज, सावित्रीबाई व फूलन को कारित की गई उपहति के आरोप में भा0द0वि0 की धारा 323/34 (चार शीर्ष) के आरोप में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक शीर्ष के लिये 1-1 माह (एक-एक माह) का साधारण कारावास एवं 200-200/- रुपये (दो-दो सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07-07 दिवस (सात-सात दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

32-अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ भुगताई जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)